

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 7.2.18  
05 FEB 2018

क्रमांक एफ 12-15/2017/सत्रह/मेडि-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैरसिया का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल के रूप में उन्नयन करने की स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही उन्नयन के फलस्वरूप निम्नलिखित विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारियों के 26 अतिरिक्त पदों को सृजित करते हुये इन पदों में से प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत तीन वार्षिक चरणों में भरे जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान +ग्रेड पे	प्रवधानित पदों की संख्या	पूर्व से स्वीकृत पदों की संख्या	अतिरिक्त स्वीकृत पद
1	मुख्य खण्ड चिकि.अधिक	15600-39100+6600	1	1	-
2	मेडिकल विशेषज्ञ	15600-39100+6600	1	1	-
3	शल्य क्रिया विशेषज्ञ	15600-39100+6600	1	1	-
4	स्त्री रोग विशेषज्ञ	15600-39100+6600	1	1	-
5	शिशु रोग विशेषज्ञ	15600-39100+6600	1	1	-
6	निश्चेतना विशेषज्ञ	15600-39100+6600	1	1	-
7	दन्त शल्य चिकित्सक	15600-39100+5400	1	-	1
8	चिकित्सा अधिकारी	15600-39100+5400	6	3	3
9	मेट्रन	9300-34800+4200	1	-	1
10	नर्सिंग सिस्टर	9300-34800+3600	2	-	2
11	स्टाफ नर्स	5200-20200+2800	20	6	14
12	ए.एन.एम.	5200-20200+2100	2	5	-
13	नेत्र सहायक	5200-20200+2800	1	1	-
14	लेब टेक्नीशियन	5200-20200+2800	1	2	-
15	रेडियोग्राफर	5200-20200+2800	1	2	-
16	फार्मोसिस्ट ग्रेड-2	5200-20200+1900	2	3	-
17	लेबोरेट्री अटेन्डेंट	4440-7440+1300	2	-	2
18	एल.एच.व्ही.	5200-20200+2400	2	2	-
19	वार्ड वाय	4440-7440+1300	5	4	1
20	ओ.टी अटेन्डेंट	5200-20200+1800	2	-	2
21	सुपरवाइजर	5200-20200+2400	2	2	-
22	ड्रेसर ग्रेड-2	5200-20200+1800	2	3	-
23	कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्स	1	1	-
24	वाहन चालक	आउटसोर्स	1	1	-
	योग		60	41	26

//2//

2/- उपरोक्त व्यय मांग संख्या-19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाये एलोपैथी, 110-अस्पताल और औषधालय, 0101-सामान्य, (8798) चिकित्सालयों का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा। संस्था के उन्नयन हेतु उपकरण एवं फर्नीचर राशि रु 43.95 लाख आदि पर होने वाला अनावर्ती व्यय का वहन राज्य बजट मद/के-डिपॉजिट/भारत शासन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से किया जावेगा।

3/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा महालेखाकार M0प्र0 को पृष्ठांकित की गई है।

क्रमांक 12-15/17/3-5/2/18

दिनांक 2/2/18

20/12/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

2/2/18

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल, दिनांक

05 FEB 2018

7-2-2018

पृ.क्रमांक एफ 12-15/2017/सत्रह/मेडि-तीन प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
2. विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. सचिव (समन्वय) मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक, सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
9. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।(वेबसाइट पर अपलोड करावें)
10. मिशन संचालक, एनएचएम, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. आयुक्त कोष, लेखा एवं पेशन मध्यप्रदेश भोपाल।
12. कलेक्टर भोपाल मध्यप्रदेश।
13. रामस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
14. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें भोपाल मध्यप्रदेश।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल मध्यप्रदेश।
16. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक भोपाल मध्य प्रदेश।
17. जिला कोषालय अधिकारी भोपाल मध्य प्रदेश।
18. मुख्य अभियंता संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश।
19. अनुभाग अधिकारी, शाखा-1 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
20. आर्डर फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग